केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36, जनपथ, नई दिल्ली–110001
दूरभाष : 23353503, फैक्स : 23753923

याचिका सं.149/टीएल/2022 दिनांक: 21.7.2022

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप–धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

खेत्री–नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड (वर्तमान में 'पावरग्रिड नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड के नाम से परिचित'), बी–9, कुतुब इंस्टीट्यूश्नल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली – 110016 द्वारा निम्नलिखित घटकों को सम्मिलित करते हुए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और रखरखाव (बीओओएम) आधार पर "फेस–।। भाग–जी के अधीन राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना (8.1 जीडब्ल्यू)" (इसके बाद "परियोजना" के रूप में संदर्भित) की स्थापना हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 15 की उप–धारा (1) के अधीन आवेदन किया गया है:

क्रम सं.	पारेषण घटक का नाम	प्रभावी तारीख से मास में अनुसूचित सीओडी	परियोजना के घटक की अनुसूचित सीओडी पर वसूली योग्य उद्धृत पारेषण प्रभारों का प्रतिशत	घटक जो कि संबंधित घटक के वाणिज्यिक प्रचालन (सीओडी) को घोषित करने के लिए पूर्वापेक्षित हैं
1.	765 केवी (2x330 एमवीएआर) बस रिएक्टर और 400 केवी (1x125 एमवीएआर) बस रिएक्टर के साथ नरेला पर 765/400 केवी, 3x1500 एमवीए जीआईएस सबस्टेशन की स्थापना 765/400 केवी, 1500 एमवीए आईसीटी – 3 नंबर 765/400 केवी, 500 एमवीए स्पेयर आईसीटी (1–फेस) – 1 नंबर 765 केवी आईसीटी बे – 3 नंबर 400 केवीआईसीटी बे – 3 नंबर 765 केवी लाइन बे – 4 नंबर (जीआईएस) 330 एमवीएआर, 765 केवी बस रिएक्टर–2 नंबर 765 केवी बस रिएक्टर बे – 2 नंबर 110 एमवीएआर, 765 केवी, 1–पीएच बस रिएक्टर (स्पेयर यूनिट)–1 नंबर 125 एमवीएआर, 420 केवी बस रिएक्टर–1 नंबर 420 केवी बस रिएक्टर बे–1 नंबर 330 एमवीएआर, 765 केवी लाइन रिएक्टर–2 नंबर 765 केवी रिएक्टर के लिए स्विचिंग उपस्कर– 2 नंबर (खेत्री–नरेला 765 केवी डी/सी लाइन के लिए स्पेयर के रूप में उपयोग किए जाने के लिए नरेला पर 1x110 एमवीएआर स्पेयर रिएक्टर) भावी प्रावधान: बे के साथ 765/400 केवी आईसीटी के लिए स्थान: 1 नंबर स्विचेबल लाइन रिएक्टर के साथ 765 केवी लाइन बे: 6 नंबर 400 केवी लाइन बे: 6+4 नंबर बे के साथ 765 केवी रिएक्टर: 2 नंबर, बे के साथ 400/220 केवी आईसीटी: 8 नंबर 220 केवी लाइन बे: 12 नंबर बे के साथ 400 केवी बस रिएक्टर: 2 नंबर	प्रभावी तारीख या जून, 2022, जो भी बाद में हो, से 18 मास	100%	क्रम सं. 1 से 4 पर अंकित घटकों का एक–साथ आरंभ किया जाना अपेक्षित है चूंकि उनका उपयोग एक–दूसरे के आरंभ होने पर निर्भर है।
2.	खेत्री–नरेला 765 केवी डी/सी लाइन खेत्री–नरेला 765 केवी डी/सी लाइन के नरेला अंत पर प्रत्येक सर्किट के लिए 1x330 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर			
3.	खेत्री–नरेला 765 केवी डी/सी लाइन के लिए खेत्री पर 765 केवी लाइन बे के 2 नंबर			
4.	नरेला पर 765 केवी मेरठ–भिवानी एस/सी का लीलो			

नोट:

i. खेत्री सबस्टेशन का विकासकर्ता, लाइन रिएक्टरों के 2 नंबर के लिए स्थान के साथ खेत्री सबस्टेशन पर 765 केवी बे के 2 नंबर के लिए स्थान प्रदान करेगा।

ii. 2 नंबर बस कप्लर बे के लिए भावी स्थान प्रावधान रखा जाएगा: (प्रत्येक बस अनुभाग के लिए 1 नंबर) एवं 2 नंबर बस सेक्शनलाइजर (प्रत्येक मेन बस के लिए 1 नंबर)

2. आवेदक को अधिनियम की धारा 63 के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार पीएफसी कन्सलटिंग लिमिटेड द्वारा की गई प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर ₹1484.06 मिलियन प्रति वर्ष के निम्नतम समानीकृत पारेषण प्रभारों के साथ पारेषण सेवा प्रदाता के रूप में चयनित किया गया है।

3. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया ने प्रस्तावित पारेषण प्रणाली को स्थापित करने के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु सिफारिश की है।

4. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 149/टीएल/2022 में दिनांक 20.7.2022 के आदेश द्वारा ऊपर पैरा 1 में यथा उल्लिखित पारेषण प्रणाली के निर्माण के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।

5. पावरग्रिड नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित किए गए आवेदन की प्रति वेबसाइट www.powergrid.in पर देखी जा सकती है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षित की जा सकती है।

6. अधिनियम की धारा 15 की उप–धारा (क) के अनुसरण में एतद् द्वारा नोटिस दिया जाता है कि यथा पूर्वोक्त, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव के प्रति सुझाव या आपत्ति, यदि कोई हो, अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 10.8.2022 तक उपर्युक्त पते पर भेजे जा सकते हैं। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

7. आयोग द्वारा आवेदन पर सम्यक अनुक्रम में आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई व्यक्ति, जो सुझाव या आपत्ति दायर करता है, अपने विवेक से सुनवाई में उपस्थित हो सकता है, जिसके लिए आयोग द्वारा किसी टीए/डीए का भुगतान नहीं किया जाएगा।

हस्ता/–
(हरप्रीत सिंह पृथी)
सचिव